REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Forty-ninth Report of the Public Accounts Committee on Union Excise Duties—Irregular grant of exemption on production in small scale units for and on behalf of large scale units."

Sir, at least this Report of the Public Accounts Committee has hearing on the small-scale sector as raised in the Question Hour. The subject is "Union Excise Duties—Irregular grant of exemption on production in small scale units for and on behalf of large scale units." Sir, this deserves your attention.

MR. CHAIRMAN: You have mentioned it also.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Apprentices (Amendment) Bill, 1986

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Apprentices (Amendment) Bill, 1986, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 31st July, 1986."

Sir, I lay the Bill on the Table.

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra): Sir, point of order. I had given a privilege notice. Sir.

MR. CHAIRMAN: For privilege notice you must come and see the Chairman in the room.

DR. BAPU KALDATE: Okay, Sir.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to ensure remunerative prices for Agricultural produce particularly for Paddy Wheat and Sugarcane in view of the unprecedented hike in the prices of agricultural inputs

श्री कल्पनाथ राय : (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं कृषि आदानों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए कृषि उपज, विशेषतः धान, गेहूं और गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर कृषि मंत्री महोदय का ध्यान दिलाउंगा।

(**Mr. Deputy Chairman** in the Chair)

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): Sir, the Hon'ble Members have mentioned about "the need to ensure remunerative prices for the agricultural produce particularly for paddy, wheat and sugarcane in view of the unprecedented hike in the prices of agricultural inputs". In this regard I may mention that the agricultural price policy of the Government is primarily directed towards ensuring remunerative prices to the agricultural producers and safeguarding their interests. In every season, Government announces procurement/minimum support prices of crops for this purpose keeping in view the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), the views of the State Governments, the concerned Central Ministries and the Planning Commission. The Government, whenever required, undertakes price support operations through public and cooperative agencies.

There are two aspects which need attention to safeguard the farmer's interests. One is that he is duly compensated for the increases in the prices of inputs like seeds, fertilizers, electricity, diesel, plant protection chemicals, agricultural implements and machinery etc. Secondly, his purchasing power in relation to the major items of his household consumption is duly protected. Both these

aspects are fully kept in view by the Government while fixing the agricultural prices.

The recommendations on procurement/support prices are made by the Commission for Agricultural Costs and Prices keeping in view a number of factors, such as, the cost of production of crops, changes in input prices, inter-crop price variations, changes in the "terms of trade" between agricultural and non-agricultural sectors, general economic conditions prevailing in the country, etc.

The cost of production data which are made use of by the Commission are based on comprehensive country-wide studies carried out mostly by agricultural universities in accordance with the concepts, methodology and sampling design worked out by experts. In arriving at cost of production estimates, full account is taken of the value of all inputs, such as, human labour, both hired and family, bullock labour, seeds, fertilizers, insecticides, machine labour, irrigation, etc. The cost estimates also take into account depreciation on implements, machinery and farm buildings, interest on working capital and fixed capital, rent of leased land as also imputed rent of owned land and other miscellaneous expenses which the farmer has to incur in his farming operations. The CACP duly takes into account any increases in the cost of inputs from year to year while making its price recommendtions.

I may mention that the procurement price of paddy (common) of fair average quality has been raised from Rs. 95 in 1979-80 to Rs. 142 per quintal in 1985-86. The procurement of rice (including paddy in terms of rice) reached a level of 9.72 million tonnes during 1985-86 (upto 25.7.1986) as compared to 9.75 million tonnes in the corresponding period of last year.

Similarly, the procurement price of wheat of fair average quality was raised from Rs. 117 in 1979-80 to Rs. 162 per quintal in 1985-86. The Hon'ble Members will be happy to note that the procurement of wheat during the 1986-87 marketing season (upto 25th July 1986) at 10.49 million tonnes has already surpassed the all time peak level of 10.35 million tonnes procured in 1985-86 marketing season.

As regards sugarcane I may mention that for the 1985-86 season, the Government has already fixed the statutory minimum price at Rs. 16.50 per quintal linked to 8.5 per cent recovery as recommended by the CACP, as against Rs. 12.50 per quintal in 1979-80.

I would like to reiterate that the Government is fully alive to the needs of the farmers and spares no efforts to see that they receive remunerative prices for their produce.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में जो उत्तर दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने '84 में बम्बई की एक आम सभा में बोलते हुए कहा-

Now there will not be the Agricultural Prices Commission but there will be an Agricultural Costs and Prices Commission.

अब एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन नहीं होगा बल्कि एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन होगा। एक साल पहले कृषि मंत्री बूटा सिंह ने इसी सदन में घोषणा की कि दो महीने के अन्दर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन की घोषणा कर दी जाएगी। आज 1986 तक एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन का गठन सरकार के द्वारा नहीं किया गया। मैं कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब आपने एग्रीकल्चरल कास्ट एन्ड प्राइस कमीशन को बनाया ही नहीं तो हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में करोड़ों किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम आप कैसे निर्धारित करेंगे और कैसे हिन्दुस्तान के किसानों को आप लाभप्रद मूल्य देंगे? 12 मार्च '80 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में केन्द्र की केबिनेट ने यह फैसला किया कि खेतों में पैदा होने वाली चीजों और कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में पैरिटी का सिद्धान्त, समानता का सिद्धान्त स्थापित किया जाएगा। और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पास

[श्री कल्पनाथ राय]

उस का विवरण भेज दिया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप 1970-71 से 1986 तक को लीजिए तो कारखाने में पैदा होने वाली चीजों के दामों में 321 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दामों में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह संतुलन का सिद्धांत कहां है जो कि हमारी कैबिनेट ने 1980 में स्वीकार कर लिया था।

आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में प्रति किलो धान की कीमत 1 रुपया 42 पैसा है जब कि प्रति किलो नाइट्रोजन की कीमत 6 रुपया 50 पैसा है। धान एवं नाइट्रोजन का अनुपात 4:6 प्रतिशत का है। जापान में प्रति किलो धान की कीमत 7.42 पैसा है और नाइट्रोजन की कीमत 54 पैसे है। धान और नाइट्रोजन का खेती में अनुपात 0:76 है। पाकिस्तान में अनुपात 3:11 का है। बंगला देश में 1.7 का है। इस से स्पष्ट है कि हमारे देश में धान की कीमत सब से कम है और नाइट्रोजन की कीमत सब से ज्यादा है। सरकार का दृष्टिकोण कृषि के प्रति देखिये। हमारे देश में शक्ति का श्रोत बिजली है। वैसे शक्ति के श्रोत तीन हैं-कोयला, तेल और बिजली और इन में बिजली का श्रोत सब से सस्ता है और तेल मंहगा है। उद्योग में बिजली का उपयोग 47.6 प्रतिशत है जब कि कृषि में 38.2 प्रतिशत है। उद्योग में तेल का उपयोग मात्र 7.9 प्रतिशत है जब कि कृषि में 67.8 परसेंट है। इस से स्पष्ट है कि सब से महंगा शक्ति का श्रोत जो तेल है उस का उपयोग कृषि में सब से अधिक होता है। और शक्ति के सस्ते श्रोत का उपयोग सब से अधिक उद्योग के लिये होता है।

कीट नाशक और रोग नाशक दवाइयां इतनी महंगी हैं कि किसान उन का उपयोग करने की बात तो सोच भी नहीं सकता। विगत तीन दशकों में धान का उत्पादन 23 मिलियन टन से बढ़ कर 60 मिलियन टन हो गया है। गेहूं का उत्पादन 6 मिलियन टन से बढ़ कर 45 मिलियन टन हो गया है। तिलहनी फसलों की उपज 4.9 मिलियन टन से बढ़ कर 13 मिलियन टन हो गयी है। यदि खाद, बिजली, रोग नाशक और कीट नाशक दवाइयां सस्ती होतीं तो किसानों को उन की उपज का उचित मूल्य मिलता। आदरणीय उपसभापति महोदय, सब से बड़ी दुख की बात तो यह है कि हिन्दुस्तान को 13 सौ करोड़ रुपये मूल्य का इडेबिल आयल, खाद्यान्न तेल विदेशों से मंगाना पड़ रहा है और आज भी हिन्दुस्तान 2, 3 सौ करोड़ की चीनी विदेशों से मंगा रहा है। तेल के बाद अगर सब से ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है तो वह खाद्यान्न तेल का है। 13 सौ करोड़ रुपये का तेल हिन्दुस्तान जैसा देश, जिसकी जमीन इतनी रत्नगर्भा है, जहां के किसान इतने मेहनती हैं, जहां के लोग अपना खून पसीना बहाकर रात दिन काम करते हैं, मंगा रहा है और अभी हमारे वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि 750 रुपये मिनियम तनख्वाह होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित है। यदि सरकार, सदन और विरोधी दल के नेता और सरकारी पार्टी किसानों को 750 रुपये मासिक देने का सिद्धांत ही स्वीकार कर लें तो मैं इस बात के लिये उन सब को धन्यवाद दूंगा। आप 1300 करोड़ रुपये का तेल इस लिये मंगा रहे हैं कि किसान को उस की उपज का उचित मूल्य, लाभप्रद मूल्य नहीं दिया जा रहा है। आज हिन्दुस्तान जैसे देश में चीनी को हम विदेशों से मंगा रहे हैं इसलिये कि किसानों को हम उस के गन्ने का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। जनता सरकार के जमाने में 1979-80 में चीनी का उत्पादन 38 लाख टन था पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था सारे देश में। देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गन्ने का दाम 22 रुपये क्विंटल कर दिया 1982-83 में और हिन्दुस्तान के किसानों ने 38

लाख टन से चीनी का उत्पादन बढ़ा कर 83, 84 लाख टन कर दिया और हिन्दुस्तान चीनी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1980 में 22 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम निर्धारित किया गया था। 1982 से 1986 के बीच में पिछले साल ढाई रुपये क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया गया इस साल भी हिन्दुस्तान को विदेशों से चीनी मंगानी पड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि किसी उद्योग धंधे में, किसी इंडस्ट्री में, मशीन खराब हो जाए, बिजली का ब्रेक-डाउन हो जाए या उनके पूंजीपतियों की मीटिंग फाइव स्टार में हो, या विदेश में वे हवाई जहाज में सफर करें तो इन सारी चीजों को इंडस्ट्री की कास्ट आफ प्रोडक्शन में शामिल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को बैल मर जाए, उसकी फसल बाढ़ से या सूखे से नष्ट हो जाए तो क्या उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन में उसको जोड़ा जाता है? यह मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, संसद के दोनों सदनों में जो जन प्रतिनिधि हैं वे लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं लेकिन आज हमारे किसान की हालत क्या है? आज 70 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो कि 6 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आदरणीय कृषि मंत्री जी पंजाब के रहने वाले हैं। आज अगर 10 बीघे खेत किसी किसान के पास हैं, अगर वह 20 हजार बीघे के हिसाब से उसे बेच दे तो उसको 2 लाख रुपया मिल जाएगा और उसे वह किसी बैंक में जमा कर दे जो उसको 24 हजार रुपया सूद का मिलेगा और उसका परिवार अगर पांच व्यक्तियों का है तो 2 हजार रुपये महीने में वह अपना गुजारा बिना किसी काम किए ही कर सकता है। वह दिल्ली या हरियाणा में बिना काम किए ही अपने परिवार का पेट भर सकता है। अगर वही किसान 10 बीघे खेत पर दिन रात मेहनत करे, अपना बैल रखे, अपना ट्रैक्टर रखे, उसकी औरत भी काम करे, उसके बच्चे भी काम करें, तो मैं पूछता हूं कि क्या उसको 24 हजार रुपये की आमदनी हो सकती है? उसे इतना मुनाफा मिल सकता है? अगर वह बिना किसी काम के 2 हजार रुपए कमाकर खा सकता है तो वह खेती में क्यों काम करे? यही कारण है कि आज 70 प्रतिशत से अधिक किसान जिनके पास 6 एकड़ से कम जोत है, वे बड़े-बड़े शहरों दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई की ओर भाग रहे हैं। उनकी जो 6 एकड़ जमीन आज जो है वह आबादी बढ़ने से 3 एकड़ रह जाएगी। जो इस तरह से सारे देश के किसान आज शहरों की तरफ भागते हैं। आज किसान के लिए खेती का धंधा घाटे का धंधा हो गया है। मैं सरकार को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो टर्म्स आफ रेफरेंस है अग्रिकल्चरल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स का उसमें कोई पैरिटी का सिद्धांत नहीं ह।

आदरणीय उपसभापति महोदय, सरकार घोषणा करती है 1984 में कि हम अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन बनाएंगे, कृषि मंत्री घोषणा करते हैं कि 1985 में कि अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन बनाएंगे, आज 1986 हो गया है और कृषि मंत्री जी की हसियत से हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आए हैं, लेकिन अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन नहीं बना है और नौकरशाह के कहने पर अपनी रिपोर्ट में दे दिया है—इन व्यू आफ दि अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन ... आपका अग्रिकल्चरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज कमीशन बन गया है लेकिन आज तक इसकी घोषणा नहीं हुई। इस तरह के जो अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आपको लिखकर दे देंगे उसे आप यहां पर पढ़ देंगे तो पहले उसकी आपको जानकारी करनी चाहिए। आज तक सरकार की घोषणा के बाद भी अग्रिकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन क्यों नहीं बना, यह आप बताएं, हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवों के किसानों को प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया, सरकार के कबिनेट के फैसले के बाद भी आज तक अग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन क्यों नहीं

[श्री कल्पनाथ राय]

बां, इसके लिए मंत्रालय के सेक्रेटरी को नियुक्त करना चाहिए। यह हिन्दुस्तान के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने के समान है। इसके बिना हिन्दुस्तान का विकास कैसे हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज किसानों की क्रय शक्ति क्या है? मैं मांग करता हूं कि आप इसके लिए भी एक कमीशन बनाएं। अगर आप हिन्दुस्तान के इन सात लाख गांवों का सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस देश के 90 परसेंट किसान कर्जे से लदे हुए हैं। बाढ़ और सूखा की प्रताड़ना के कारण वे किसान अपनी चीजों को पैदा नहीं कर सकते जो दाम सरकार तय करती है खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम वे दाम छोटे और मझोले किसानों को नहीं मिल पाते। पांच छः एकड़ जमीन जोतने वाला किसान अपनी बेटी की शादी करता है, अगर उसका बैल मर जाता है तो बैल खरीदता है, मकान गिर जाता है तो मकान बनाता है। जैसे ही फसल तैयार होती है वह बाजार में उसको बेचने जाता है। सरकार अगर तय करती है 162 रुपये क्विंटल तो इन किसानों को 120 रुपये क्विंटल के हिसाब से बाजार में बेचना पड़ता है। आज जिस हिसाब से किसान अपने खेत में पैदा होने वाले सामान को बेचता है तो क्या साल भर के अन्दर वह उतना प्राप्त कर सकता है? आज हमारे देश में चीनी विदेश से मंगाई जाती है, खरीदी जाती है। 1300 करोड़ रुपये का तेल हमें विदेश से खरीदना पड़ा जब कि हिन्दुस्तान की धरती में इतनी ताकत है, हिन्दुस्तान की गंगा, यमुना और घाघरा की घाटियों में इतनी उर्वरा शक्ति है कि अगर हिन्दुस्तान को खेती को वैज्ञानिक ढंग से संचालित किया जाए तो हिन्दुस्तान पूरे एशिया को खाना खिला सकता है। आज हिन्दुस्तान में सबसे कम प्रोडक्शन हो रहा है। केवल पंजाब और हरियाणा में साढ़े सात करोड़ टन गल्ला पैदा हो रहा है और पूरे देश में 15 करोड़ टन गल्ला पैदा हो रहा है पंजाब और हरियाणा में इतना गल्ला इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि वहां के किसानों को बिजली और पानी गारंटेड है। वहां इसीलिए सम्पन्नता आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हिन्दुस्तान के अनेक प्रांत जो बाढ़ और सूखा के शिकार हैं, जहां गंगा और घाघरा जैसी नदियां हैं, जहां सबसे ज्यादा गल्ला पैदा होना चाहिए, सबसे ज्यादा जहां सम्पन्नता होनी चाहिए, जिस इलाके की जनता को धन-धान्य पूर्ण होना चाहिए, आज उस इलाके में दुनिया के सबसे दरिद्र इन्सान बसते हैं। वहां की नदियों का पानी ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहां की नदियों के पानी से बिजली नहीं बनाई जा रही है। वहां के लोगों को रोजी-रोटी के साधन उपलब्ध नहीं हैं। आज हिन्दुस्तान के किसान का बेटा 200 रुपये, 100 रुपये की नौकरी के लिए दिल्ली आता है, कलकत्ता में ठोकरें खा रहा है, वह खेती नहीं करना चाहता। खेती इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि खेती से कोई लाभ नहीं है। 10 एकड़, 20 एकड़ पर खेती करने वाले किसान का बेटा भी 200 रुपये की नौकरी करना पसन्द करता है। खेती का काम इसलिए पसन्द नहीं करता क्योंकि खेती में मुनाफा नहीं है, यह घाटे का धंधा बन गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कृषि मंत्री ढिल्लों साहब से जो हमारे पंजाब के रहने वाले हैं, एग्रीकल्चर्स कास्ट एंड प्राइस कमीशन जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री जी ने खुद 1984 में की थी, आज तक वह कमीशन क्यों नहीं बना? तीन साल तक एग्रीकल्चर्स कास्ट एंड प्राइस कमीशन नहीं बना यह बड़े शर्म की बात है। देश के कृषि मंत्री सदन के अन्दर घोषणा करते हैं कि एक महीने के अन्दर एग्रीकल्चर्स कास्ट एंड प्राइस कमीशन बन जायेगा फिर भी उस घोषणा का कोई असर नहीं होता यह दूसरी शर्म की बात है। मैंने कृषि मंत्री जी से मिल कर यह कहा था कि आज कम से कम एग्रीकल्चरर्स कास्ट एंड प्राइस कमीशन की घोषणा कर दें ताकि हिन्दुस्तान के किसानों के खेतों में पैदा होने वाले

धान और गेहूं, काटन या शुगर केन या गन्ना के दाम किसानों को उचित रूप से मिल सकें। राजस्थान के श्रन्दर गंगानगर में सरसों और राई पिछले साल सबसे ज्यादा पैदा हुई। सरकार ने 385 रुपये क्विंटल सरसों और राई के दाम निर्धारित किये थे लेकिन 300 रुपये में भी सरसों और राई लेने वाला कोई नहीं था। 1300 करोड़ रुपये का तेल यह सरकार विदेशों से मंगा रही है और दूसरी तरफ किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं दिये जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आलू के दाम लीजिए। जब किसान के खेत में आलू पैदा हो जायेगा तो 20 रुपये क्विंटल, 40 रुपये क्विंटल मूल्य के हिसाब से आलू बिकेगा और आज दिल्ली के बाजारों में 400 रुपये क्विंटल आलू के दाम हैं। जो पैदा करता है वह भूखों मरता है और जो कंज्यूम करता है उसको भी मंहगे दाम पर खरीदना पड़ता है।

अभी हालत यह है कि हमारे देश में बिचौलिये, जमाखोर, जखीरेबाज और ब्लैकमार्केटियर्स हिन्दुस्तान की पूरी जनता की खून-पसीने की कमाई से करोड़पति और अरबपति हो गये हैं। मैं आपके सामने केवल आलू का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे इलाके में आलू जब पैदा होता है तो 40 रु० क्वींटल के भाव पर बिकता है और आज यही आलू 400 रु० क्वीटल के भाव पर बिक रहा है। हमारे सारे संसद-सदस्यों के घरों में आलू की सब्जी बनती है। अभी बाजार में 4 रु० किलो आलू मिलता है। गांव का किसान नौ महीने तक अपना खून पसीना इसको उगाने में लगाता है। उसको इसका कितना दाम मिलता है और बाजार में यह किस भाव मिलता है, इसका उदाहरण आपके सामने है। सन् 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने गन्ने का दाम 22 रु० क्वींटल रखा इस सन् 1980 से 1986 तक बिजली के दामों में, पानी के दामों में, इनपुट्स के दामों में और दूसरी चीजों में कितनी वृद्धि हो गई है। लेकिन किसान को गन्ने का भाव आज क्या मिल रहा है? मैं आपका ध्यान भारतीय कृषक समाज जिसके चेयरमैन श्री बलराम जाखड़ जी हैं उसके प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है —

"Prices of Farm Inputs: Prices of farm inputs have gone high in comparison to the prices of farm produce received by the farmer in the market. Farm inputs be declared essential commodity and a separate Agricultural Inputs Prices Commission be set up to fix and regulate their prices.

Survey on Agricultural Price Parity: Recently Profs. Swami and Dr. Gulati of Delhi University have surveyed the price parity of farm produce and farm inputs since 1971 to 1981 and declared thousands of crores of rupees loss to Indian farmer. Convention appreciates their efforts and asks the Government to now take decision in favour of the farmers and fix remunerative prices so that further loss may not be incurred to Indian Farmer.'

Treat Agriculture as Industry: Convention ask Government that agriculture be declared as an Industry. National Agro-Industries policy be made and all facilities extended to industries be extended to agriculture also."

भारतीय कृषक समाज ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है। इसके अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ जी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो० स्वामी और श्री गुलाटी ने भी ये विचार व्यक्त किये है। श्री बलराम जाखड़ जी की अध्यक्षता में पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर हुए सम्मेलन में वे बातें कही गई है। आज हिन्दुस्तान में यह हालत है कि खेती में काम आने वाले इनपुट्स की कीमत तो बहुत बढ़ गई है, इंसैक्टीसाइट्स की कीमत बढ़ गई है, पेस्टीसाइट्स की कीमत बढ़ गई है, टैक्टर्स की कीमत बढ़ गई है, बिजली, पानी और ट्यूबवैल की कीमत बढ़ गई है। इनकी कीमतों में कई गुना वृद्धि हो गई है। दूसरी तरफ किसानों की पैदा की हुई चीजों के मूल्यों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। सन् 1980 में लोहे

[श्री कल्पनाथ राय]

के दाम 400 रु० क्वींटल थे और आज वे 800 रु० क्वींटल हो गये हैं। लोहे के दाम 400 रु० से 800 रु० हो गये, लेकिन गेहूं के दामों में 10 रु० की भी वृद्धि नहीं की गई है। किसानों को अपनी खेती के लिए खुरपा चाहिए, कुदाली चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। इन सब चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान के द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई या उस अनुपात में नहीं की गई जिस अनुपात में दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं। भारत में केन्द्रीय सरकार में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केबिनट की बैठकें होती हैं। उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों के दाम मंत्रालय द्वारा नियत किये जाते हैं, लेकिन कृषि में पैदा होने वाली चीजों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ाये जाते हैं जिस अनुपात में दूसरी चीजों के दाम बढ़ाये जाते हैं। टर्म्स आफ रैफरेंस भी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का कंबनेट भेजेगा। क्या कैबिनट द्वारा पास किये गये प्रस्तावों का आदर एग्रीकल्चर कास्ट और प्राइस कमीशन कर रहा है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान के करोड़ों करोड़ किसानों को भगवान मानता हूं।...(**व्यवधान**).. आदरणीय उपसभापति महोदय, मैंने भगवान को जानने की कोशिश की कि भगवान कहां है। क्या भगवान मंदिरों में है?...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Normally, we give seven minutes for each speaker. But, because this is dealing with agriculture and is very important, Igave you more time. Now, you have to conclude, Mr. Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं ने भगवान को गीता में जानने की कोशिश की, रामायण में जानने की कोशिश की, मंदिरों में भगवान को ढूंढने की कोशिश की, मस्जिदों में ढूंढने की कोशिश की, भगवान को मैंने दुनियां में ढूढने की कोशिश की लेकिन अगर मैं भगवान किसी को मानता हूं तो वह किसानों को मानता हूं जो अपने खेतों में हल चला कर सारे देश को अन्न देता है, सारे देश को प्राण देता है, जिसका बेटा हिन्दुस्तान की सीमाओं पर अपना खून बहाकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा करता है, जिनके बेटों ने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान देकर फांसी का तख्ता हंसते हंसते चूमा और अनेक यातनाओं को सहकर हिन्दुस्तान को आजाद कराया और जो आज भी देश की एकता और अखंडता के लिये अपने प्राणों को देने के लिये तैयार हैं, जो किसान खेतों में हल चलाकर सारे देश को अन्न देता है, जो देश को प्राण देता है, जो हमेशा ही देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सार्वभौमिकता की रक्षा करने को तत्पर रहता है, उनको मैं भगवान मानता हूं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि हिन्दुस्तान के 60 लाख गांवों में बसने वाले किसानों द्वारा अपने खेतों में पैदा किये जाने वाले चीजों के उचित मूल्य सरकार दे ताकि हम राजीव गांधी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारत को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जा सकें और भारत को हम एक खुशहाल, शक्तिशाली और समाजवादी भारत के रूप में दुनियां के सामने प्रतिष्ठित कर सकें और भारत की एकता और अखंडता को अधिक मजबूत कर सकें। जब तक हिन्दुस्तान में किसान मजबूत नहीं होगा, किसान का बेटा मजबूत नहीं होगा, हिन्दुस्तान की खेती विकसित नहीं होगी, गांव किससित नहीं होंगे और हर गांव में बिजली, पानी और सड़कों का जाल नहीं बिछाया जायेगा तब तक हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं भारत के किसानों को उचित मूल्य दिये जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, यह देश का सौभाग्य है कि किसानों ने परिश्रम कर सरकार के सहयोग से देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। देश में 6 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में माननीय कृषि मंत्री जी ध्यान दें, राष्ट्रीय आय में कृषि से 60 प्रतिशत आय होती थी। दो योजनाओं के समाप्त होने

पर 1961 में राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई लेकिन कृषि की आय घटकर 50 प्रतिशत रह गई। राष्ट्रीय आय में 6 पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त हो जाने के बाद आज तक वृद्धि हुई और होती चली गयी लेकिन कृषि की आय का प्रतिशत घटकर 32 प्रतिशत रह गया, जब कि 1951 में गांवों में खेती पर लगे और खेती से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या 79 फीसदी थी और आज वह 76 फीसदी है। इसका मतलब यह हुआ कि गांवों में रहने वाले आदमियों को कृषि आय पहले की तुलना में 60 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गई है और जनसंख्या उनकी वही है। यह मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक चेतावनी रखे देता हूं। 1970-71 और 1980-81 के आंकड़ें अगर माननीय कृषि मंत्री जी उठाकर देखें तो तीन बातें हमारे सामने हैं। सरकार कृषि उत्पादन का जो मूल्य निर्धारित करती है, कृषि इनपुटस, कृषि निवेश मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है और किसान जो अपना माल बेचकर अपनी आवश्यक वस्तुयें खरीदता है उनमें समानता नहीं है।

मान्यवर, तीन मूल्य अलग-अलग हैं। कृषि का मूल्य इनपुट्स निवेश जो कृषि उत्पादन में लगता है और किसान अपने उत्पाद को ले कर जो मंडी में जाता है, बेचता है, जो चीज खरीदता है उस में कृषि का मूल्य और उसका अनुपात। इन तीनों से अगर अन्दाज लगाया जाए सन् 1970-71 से ले कर 1980-81 के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। माननीय कृषि मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यदि 100 रुपये उस समय कृषि का मूल्य था कृषि उत्पाद का मूल्य था तो वह आज घट कर के 81.80% रह गया है। अगर विनिर्मित उत्पाद का मूल्य बढ़ता जाता है, कृषि इनपुट्स का मूल्य बढ़ता जाता है, उस के अनुपात में किसान का मूल्य नहीं बढ़ता है। मैं चार-पांच चीजों के आंकड़ें आपके सामने प्रस्तुत करना चहता हू। बिजली जिसकी किसान को अवश्कता है 1970-71 में अगर 100 रुपये थी आज वह 524 रुपये की हो गई है। विनिर्मित उत्पाद जिसे मैनुफक्चर्ड गुड्ज कहते हैं वह 100 के मुकाबले में 340 हो गई है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, शराब के मैं बहुत खिलाफ हूं, शराब पर तो आपकी बड़ी कृपा रही। यह 100 के मुकाबले में 207 हो सकी। बिजली 524 और शराब 207 हो सकी 100 के मुकाबले में। खैर आपकी बड़ी कृपा उस पर है। इसमें आगे टायर और ट्यूब काश्तकार को चाहिये उसकी गाड़ी के लिए ट्रैक्टर के लिए साइकिल के लिए उसकी कीमत 100 के मुकाबले में 372.4 हो गई है। फर्टिलाइज़र की कीमत 288.9 हो जाती है 100 के मुकाबले में। भूतपूर्व कृषि मन्त्री माननीय बूटा सिंह जी की यह किताब मेरे पास मौजूद है इसका 49 पेज आप उठा कर देख लें उन्होंने यह कहा था कि हम 1981-82 में जो फर्टिलाइज़र की कीमत थी वही रहने देंगे और उसे बढ़ने नहीं देंगे जिससे काश्तकार को वह मिलती रहे और वह उसका उपयोग करे। लेकिन मान्यवर, आप यदि आज्ञा दें कृषि मन्त्री जी की यह घोषणा मेरे पास मौजूद है जिसके 49 पृष्ठ पर जो लिखा है मैं वह आपको बता रहा हूं कि 1980-81 में फर्टिलाइज़र की कीमत 242.7 थी और 1983-84 में वह 267 हो गई और अब तक यह 288 हो चुकी है। यह कह रहे हैं कि हम बढ़ने नहीं देंगे लेकिन कीमत बढ़ती चली जा रही है। ईंट 100 के मुकाबले में 474, सीमेंट 100 के मुकाबले में 486, लोहा 100 के मुकाबले में 539, यह सारी फिगर्ज़ रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की हैं। जो आपका कृषि मन्त्रालय है उस का जो इकोनोमिक एंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, मैं आपको उसकी फिगर्ज दे रहा हूं। डीज़ल आयल 100 के मुकाबले में 800 हो चुका है। 1983-84 की फिगर्ज़ मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद में भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। हम यह कह रहे हैं कि हम बढ़ने नहीं देंगे। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत आज 300 रुपये है, उसके मुकाबले में किसान जो खरीदता है उसकी कीमत 500 रुपये है। है कोई तरीका ? किसान जो पैदा

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

करता है उसकी कीमत 300 रुपये, किसान जो खरीदता है उसकी कीमत 500 रुपये। किसान जो इनपुट खरीदता है उनकी कीमत भी ज्यादा है। है कोई तरीका जिससे किसान की आर्थिक अवस्था में आप सुधार कर सकें? लगातार उसकी कीमतें गिरती चली जा रही हैं। यही नहीं बल्कि किसान जो गेहूं पैदा करता है उसके मूल्य में 11 फीसदी से 28 फीसदी तक की गिरावट आई है। उसकी आमदनी में इनपुट्स के मुकाबले में कमी आई है। चावल में 0 से 30 परसेंट तक कमी आई है मूल्यों में। गुजरात के जो मूंगफली उत्पादक हैं उनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। सबसे ज्यादा नुकसान में गये हैं तो गुजरात के काश्तकार गये हैं। 14 हजार रुपये का एक होल्डिंग के ऊपर उनको नुकसान पहुंचा है। मान्यवर, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल, ज्वार या मूंगफली है किसान की हर चीज में आय घटती चली जा रही है। इनपुट्स की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो कौन सा तरीका है जिससे आप किसान की हालत को सुधार सकते हैं। आप जो कुछ कहें आपको अधिकार है। अकेले यही नहीं जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार 70-71 के मुकाबले में किसान की सामूहिक आमदनी में घटोती हुई है 12 480 करोड़ की, यह 70-71 की कीमत पर है, आज की कीमत पर उसका मुकाबला करें तो 45 हजार करोड़ का किसानों को नुकसान पहुंचा है। किसान सुधर सकेगा। बार्टर टर्म्स आफ ट्रेड। किसान जो पैदा करता है और वह जो खरीदता है, दो ही तो तरीके हैं जैसा कि राष्ट्रपति साहब ने कहा था अपने प्रेजीडेंशियल एड्रेस में बिटवीन आउटपुट्स सप्लाई एण्ड इनपुड परचेल्ज़, किसान ने अपनी पैदावार को जो सप्लाई किया उसकी कीमत उसे क्या मिली और इनपुट्स उसने खरीदे उसकी उसे क्या कीमत देनी पड़ी। जो उसने अपना माल सप्लाई किया उसकी क्या कीमत मिली और जो बाजार से खरीदा उसकी क्या कीमत देनी पड़ी इन दोनों से ही किसान की माली हालत का अंदाज लगा सकते हैं, मेरे आंकड़ों के अनुसार। मैं किसी भी इकनामिस्ट से बैठकर बात कर सकता हूं, करने के लिए तैयार हूं। प्रतिवर्ष किसान की आय में 1.91 प्रतिशत घटोत्तरी है, आय घटती चली जा रही है। 3.06 परसेंट कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो सरप्लस हमारा मारकेट में जाता है 4.77 परसेंट, वह मारकेट सरप्लस हो जाता है? जितना रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा है वह सारा समाज में बंट जाता है लेकिन कृषि मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि किसान जब ज्यादा पैदा करता है तब भी मरता है उसका भाव गिर जाता है, जब कम पैदा करता है तो किसान खेत की मेड़ पर खड़ा होकर रोता है। दोनों तरफ पिटता है, कम पैदा होता है तो भी पिटता है ज्यादा पैदा होता है तब भी भाव गिरने से मरता है। लेकिन उद्योगों में ज्यादा पैदा होता है तो उनका मुनाफा बढ़ता है। किसान का ज्यादा पैदा होता है तो उसका मुनाफा घटता है। इन हालातों को आपको देखना पड़ेगा मान्यवर, सन् 70-71 और 80-81 में किस हिसाब से किसान की घढ़ोत्तरी हुई? किसान को उसके उत्पाद का मूल्य मिला 213.6 और उसको देना पड़ा 244.8 तो किसान की हालत को आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? आप खुद सोचें। किसान की आय घटती चली जा रही है। अकेले यही नहीं बल्कि कितनी घढ़ोत्तरी होती जाती है उसकी आमदनी में 5.9 प्रतिशत। एग्रीकल्चर की उसकी वार्षिक आमदनी घटोत्तरी पर है। यह मैं कुल बता रहा हूं। किसान अनप्रोटेक्टेड है, वर्ल्ड के मामले में भी अनप्रोटेक्टिड है, असुरक्षित है। जो किसान पैदा करता है उसकी सुरक्षा न देश के मारकेट में दूसरी वस्तुओं से की जाती है और न वर्ल्ड के मारकेट में की जाती है। दोनों हालतों में किसान असुरक्षित है। आप हिसाब लगा लें, पहली पंचवर्षीय योजना से उठाकर हिसाब लगायें उस जमाने में किसान को जो कीमतें मिलती थीं वर्ल्ड के मुकाबले में वह भी मेरे पास मौजूद हैं कि उस समय क्या मिलता था और आज क्या मिलता है। वर्ल्ड के मुकाबले में किसान की कीमतें

घटकर मार्जिन 42.64 गेहूं पर, चावल की 9.08 से लेकर 28.42 प्रतिशत तक घटोत्तरी हो चुकी है। यह है अनप्रोटेक्टेड कोई प्रोटेक्शन नहीं किसान के गेहूं, चावल की और ज्वार के मामले में और तीन देश ऐसे हैं इन्हीं 1970-71 और 1980-81 में जापान, कोरिया और ताईवान जहां के हालात में सुधार आया है लेकिन इस देश मे किसानों के हालात में कमी आई है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप किसान की हालत को सुधारना चाहते हैं, उसकी आय में वृद्धि करना चाहते हैं, उसकी क्रय-शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और समाजवादी व्यवस्था की सफलता के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय में संतुलन चाहते हैं, दिन-प्रतिदिन असंतुलन बढ़ता जा रहा है, कृषि उत्पादक और गैर-कृषि उत्पादक की आमदनियों में जो दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है, खेती मे और व्यापार में और खेती मे और उद्योग मे, इनकी आमदनियों में जो दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है, उसे घटाने के लिए समाजवादी व्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसान को आप लाभप्रद मूल्य प्रदान करवायें। (समय की घंटी)

मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी। उनसे पांच मिनट कम दे दें। उन्हें 25 मिनट बोलने दिया तो 20 मिनट में मुझे डिस्टर्ब न करें कृपा करके, मेरी प्रार्थना है।

उसको लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग आपने बनाया, नाम अब रख दिया एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन। मेरा 22 जुलाई का प्रश्न है, आपका उत्तर मेरे पास यहीं मौजूद है कि उसको रि-स्ट्रक्चर कर रहे हैं। आप रि-स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, लेकिन कब तक हो जाएगा रि-स्ट्रक्चर ?

मेरा तो आपसे यही प्रार्थना है कि एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन किसानों को लाभ नहीं देगा, बल्कि आप ब्यूरो बनाइये उन्हीं लाईंस पर जिस तरह की ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइस उद्योग के लिये आपने बनाया है। उन्हीं लाईंस पर कृषि के लिये भी एक ब्यूरो की स्थापना आप करें और अगर मेरी इस बात को आप न मानें कि ब्यूरो बनाया जा सकता है तो मैं निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चरल कॉस्ट एण्ड प्राइस कमीशन में आप कम से कम किसानों के चार प्रतिनिधि रखें एक उत्तर भारत का एक दक्षिण भारत का, और एक सूखी खेती का क्योंकि 70 प्रतिशत जमीन पर भारत की आज भी सूखी खेती है जो वर्षा के ऊपर निर्भर हैं, इसलिये एक ऐसे इलाके से किसान होना चाहिये जहां पर कि बिल्कुल आबपाशी न हो। एक उत्तर भारत का किसान एक दक्षिण भारत का किसान एक फल सब्जी उगाने वाले किसानों प्रतिनिधि और एक सूखी खेती वाले किसानों का प्रतिनिधि, चार इसके ऊपर रखें। उनको आप पावर्ज दें क्योंकि पावर्ज भी एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन जब रिपोर्ट करता था, हमने शहर के मामले में देखा है, शूगर के मामले में जो एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन से रिपोर्ट आपने माना क्या हमेशा ? अगर उसने 15 रुपये सिफारिश की है गन्ने की कीमत रखी जाये तो सरकार ने 13 रुपये दिये थे। अब की बार 18 रुपये की थी तो आपने 16 रुपये मकर्रर की है। जो एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन मकर्रर करता था, उससे आप कम करते है।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आज तक इस देश में कृषक या उत्पादक सहायक और पोषक नीति नहीं रही बल्कि कंज्यूमर ओरिएन्टेड पालिसी भारत की रही है कंज्यूमर ओरिएन्टेड कंज्यूमर का इन्टरेस्ट भी आप तभी सेफगार्ड कर सकते है जब अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन तब होगा जब कि किसान को लाभप्रद कीमत मिलेगा। सब से बड़ा इनपट अगर कोई है सबसे आवश्यक इनपट जिसे इनपट अर निवेश हम कहते हैं, तो वह है मूल्य। जब जब भी अपने मूल्य में वृद्धि की, उसी समय उत्पादन बढ़ा। यह हमारे लिये क्या लज्जा की बात नहीं है कि हम आत्म निर्भर अनाज के मामले में हुए और दो तीन साल पहले तक आत्म निर्भर होने के बाद भी हम गेहूं और चावल विदेशों से मंगवाते रहे ? यहां हिन्दुस्तान मे गेहूं रखने के लिये व्यवस्था नही है, चावल रखने के लिये हमारे यहां स्टोरेज व्यवस्था की

[श्री विरेन्द्र वर्मा]

कमी है। प्रतिवर्ष लाखों टन इस गरीब देश का गेहूं बर्बाद हो जाता है और हम बाहर से मंगाते है। क्यों? जबकि विदेश मद्रा की इतनी कठिनाई है। हम आत्म निर्भर भी है, लेकिन फिर भी हम विदेशी से गेहूं और चावल मंगाते है। इसका क्या कारण है? चीनी में हिन्दुस्तान का दुनिया में अव्वल नम्बर का स्थान था, सन 1981-82, 1982-83 में हम इसे एक्सपोर्ट करते थे। बड़े शर्म की बात है, पिछले साल हमने साढ़े 19 लाख टन चीनी मंगाई और इस वर्ष 6 लाख टन मंगा रहे हैं। 1300 करोड़ रुपये का एडिबल आयल मंगा रहे हैं। हम दालें मंगाते है, कपास मंगाते है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो चीजें इस देश में पैदा हो सकती है, चाहे एडिबल आयल है, चाहे चीनी है और चाहे कपास है ऐसी चीजें हमें बिलकुल बाहर से मंगानी नहीं चाहिये। इस समय जो मौजूदा हालत है उसमें जो भाव आप मुकर्रर करें वह किसान को मिले, लेकिन वह कीमतें भी किसानों को नहीं मिल पाती है। गेहूं और चावल के मामले में भी हमें शिकायत है। जिजर के मेरे पास आंकड़े मौजूद है। आन्ध्र प्रदेश में सन 1983 में 573 रूपये से गिरकर सन 1985 में 301 रूपये प्रति क्विंटल पर जिजर की कीमत आ गई है। केरल में 2528 रुपये से गिरकर 1571 रूपये आ गई है यानी 40 फीसदी की गिरावट आई है। पहले में 56 फीसदी की गिरावट थी। महाराष्ट्र में 30 फीसदी की गिरावट आई है, बंगाल में 50 फीसदी की गिरावटआई है। इसी प्रकार मान्यवर, मिजोरम में जिजर की कीमतों में गिरावटें आई हैं। जूट का क्या हाल है? जो कीमतें आपने मुकर्रर की हैं उस पर आप जूट खरीदते नहीं है। बिहार का, बंगाल का जहां जहां भी जूट होता है वहां वहां का किसान बर्बाद हो रहा है। जो कीमत आपने मुकरर की है उससे भी 50-60 रूपये कम कीमत पर मजबूर होकर किसान को अपना जूट बेचना पड़ता है। आप यह कोशिश कीजिगा कि किसान को आप बचाइये। प्याज का क्या हुआ? इससे कंज्यूमर भी मरता है और प्रोड्यूसर भी मरता है। ऐसी क्या विवशता है कि प्याज को आपने नहीं खरीदा? नासिक में आप खरीदते होंगे, लेकिन प्याज हमारे यहां भी होता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उत्पादक को बचाइये और इसके लिये कुछ कीजिये। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जहां पर मान्यवर आप भी है, आजादपुर में सब्जी मंडी है। वहां किसान अपना माल लाते है। पहाड़ों से सेब और दूसरी चीजें सब्जी आदि बेचने के लिये किसान आते है। अंगोछा तौलिया लगाते है। अन्दर ही अन्दर उंगली पकड़ कर उसमें कहते है कि भाव बनकर इतना हो जायेगा किसान का शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं उपभोक्ता का भी होता है। दिल्ली में आपकी आंखों के नीचे यह हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितनी भी मंडियां है वे किसान को अच्छी कीमत दें और मार्कीट में, मंडियों में उसका शोषण होने से ज रोके। जो चीजें वह पैदा करता है जो इनपुट्स वह पैदा करने में लगाता है और जो चीज अजनी आवश्यकताओं के लिये खरीदता है आप उनमें, उनकी कीमतों में सन्तुलन बनायें रखे। प्राइसेज में अगर आप सन्तुलन बनायें रखेंगे तभी आप किसान की आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे। इस देश में जहां 76 फीसदी आदमी खेती पर निभर है। आप सन्तुलन बनामें रखकर ही देश की आर्थिक अवस्था को सुधार सकेंगे। नहीं तो गरीब और अमीर आदमी की आय में अन्दर बढता चला जायेगा और समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी जिसकी कि आपने घोषणा की है। बल्कि इससे अमीर होता चला जयेगा और मेहनतशक किसान गरीब से गरीब होता चला जायेगा आप इसको रोकने की कोशिश करें। आपके सामने यह एक चैलेज है। धन्यवाद।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, इस देश में लाखों गांवो में बसने वाले करोड़ों किसान की मूलभूत समस्या की चर्चा आज हम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो वक्तव्य हमारे सामने रखा उसमें आपने कहा है सरकार इस बात के लिये कोई कसर नहीं

छोड़ते कि किसानों को उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्त हो और इसका हमें आश्वासन भी दिया है। लेकिन जहां तक गेहूं, धान या गन्ने के मूल्यों की चर्चा कृषि मंत्री जी ने इस वक्तव्य में की है उन्होंने अधिप्राप्ति मूल्य शब्द का उपयोग किया है। इसलिये मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या लाभप्रद मूल्य और अधिप्राप्ति मूल्य या समर्थन मूल्य दोनों एक ही मूल्य के दो नाम है या यह दो अलग अलग मूल्य है? यदि लाभप्रद मूल्य अलग है और समर्थन या अधिप्राप्ति मूल्य अलग है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार धान, गेहूं या गन्ने के लिए, जिसको लाभप्रद मूल्य मानती है, उस मूल्य को ही अधिप्राप्ति या समर्थन मूल्य बनाकर किसानों को क्यों नही देती? यदि लाभप्रद मूल्य ज्यादा है और आप केवल समर्थन मूल्य देते हो तो लाभप्रद मूल्य की चर्चा का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

उपसभापति जी, जहां तक लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने की बात इसमें कही गई है, ढेर सारे अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग किया गया है। इस संबंधों में मैं यह जानना चाहूंगा कि लाभप्रद मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग किस प्रकार तय करता है? इसके कुछ हिन्दु मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दिये हैं, मैं यह जानना चाहूंगा कि गन्ना को गेहूं हो या चावल हो, इसे जो मूल्य आपने इसमें बताये है, उसका क्या आप इस प्रकार विवरण दे सकेंगे कि लागत और मूल्य आयोग की एक एक छोटी चीज आपने कही है, उसके लिये एक क्विन्टल पर कितना मूल्य लगाया है और इसमें फसल की उत्पादन लागत हो, आदान मूल्यों की बात हो या मानव श्रम हो, किसानों का श्रम हो, किराये के श्रम हो, बिजली हो क्या आप सदन को विस्तृत रूप में यह जानकारी दे सकते है कि जिस प्रकार आपने यह कीमते तय की है उसमें विस्तृत रूप से एक एक मुद्दे पर आपने क्या सोचा है ताकि किसानों को यह पता चले कि वे खर्चा कितना करते है और सरकार उनके खर्चे को कितना मानती है?

इसके बाद मैं एक और स्पष्टीकरण इसमें पूछना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिशों के आधार पर यदि आप मूल्य तय करते है तो उदाहरण के रूप में आप विभिन्न प्रदेशों के जो कृषि विश्वविद्यालय है उनकी ओर से कीमते आती है, जैसे महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालयों ने आपको क्या कीमत भेजी थी। और

1-00Pm

सरकार ने कौन सी कीमत मान ली है? इन दोनों में यदि फर्क है तो क्या और क्यों है? इस प्रकार भी जानकारी यदि कृषि मंत्री दे तो किसानों को पता चलेगा कि कृषि विश्वविद्यालय क्या सोचते है और सरकार क्या सोचती है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की कीमतें किसानों के लिये जादू की कीमतें लगती है, जैसे कि इसमें कुछ शब्द लिखे है-"देश में चल रही सामान्य आर्थिक स्थितियां"। यह पढ़ कर लगता है किसानों के पक्ष में लिखा होगा, लेकिन जब मूल्य निर्धारण होता है और जब यह शब्द कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उपयोग में लाता है तो उसमें देश में चल रही आर्थिक स्थितियों का अर्थ किसानों के पक्ष में नहीं जाता, वह देश की सर्वसाधारण आर्थिक स्थिति, रेलेटिव प्राइस स्टक्चर बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेड प्राइस इस प्रकार के, भिन्न भिन्न शब्द लगा कर जितनी किसान की लागत उसमें होती है उस लागत से कम दाम किसान को मिले इसलिये इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसानों का रिस्क फैक्टर भी गिना नहीं जाता। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने किस मूल्य भी उपज की जो भी कीमत तय की है उसका जो विवरण होगा वह एक मुद्दे मुद्दे को लेकर क्या मंत्री जी उसे सदन के सामने रखेंगे।

उपसभापति जी, सस्ते से सस्ता कच्चा माल लेकर उसे पक्का रूप देकर बाजार में मंहगी कीमत पर बेचना-- इसी का नाम उपनिवेशवाद है। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों के साथ यह किया और आज दुर्भाग्य से मुट्ठी भर शहरी इण्डियन्स अपने करोड़ों ग्रामीण भारतीयों के खिलाफ उसी नीति का उपयोग करते हैं। 'इंडिया दैट इज भारत' यह संविधान का तो सिद्धांत है लेकिन 'इंडिया दैट एक्सप्लायइट्स भारत' यह व्यावहारिक लोगों का

[श्री प्रमोद महाजन]

अनुभव है। हम कैसे मानें कि बसाहतवाद समाप्त हुआ, क्या सिर्फ इसलिए कि शासकों का रंग बदल गया, गरीबों की मदद के नाम पर कुछ काम किये गये जैसे कुछ धन्नासेठ गरीबों का खून चूस कर मन्दिर बनाते हैं। उपसभापति जी, छाप हो या काटा, किसानों का हमेशा घाटा होता है। आसमानी संकट के कारण जब उत्पादन कम होता है तो सरकार अपनी सारी सुलतानी ताकत लगा कर लेवी वसूल कर लेती है और जब किसान आसमानी मदद से ढेर सा उत्पादन कर लेता है तो मंडियों में भाव गिर जाता है। उस समय सरकार अपनी सुलतानी ताकत से किसानों की सहायता नहीं करती। मैं तो किसानों की ओर से इतना ही कहूंगा कि आप किसानों के साथ दोहरा अन्याय बन्द करें। दुनिया में हर चीज की कीमत डिमांड और सप्लाई के न्यास से चलती है तो किसानों को भी इसकी इजाजत मिले। मैं थोड़े में उदाहरण के तौर पर केवल इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र में जितनी चीनी बनती है उसमें 65 प्रतिशत चीनी सरकार 2 रुपये 72 पैसे प्रति किलो भाव से उठा लेती है जब कि सरकार और सारी दुनिया जानती है कि एक किलो चीनी बनाने में 4 रुपये 30 पैसे लगते है। जो 35 प्रतिशत चीनी किसानों के पास बचती है उसे वे मुक्त बाजार में बेचने के लिये ले जाते है। चीनी का भाव थोड़ा सा बढ़ने के बाद ही इन्डियन सरकार अपने पास जो चीनी होती है वह बाजार में छोड़कर किसानों का दोहरा नुकसान करती है। चीनी थोड़ी सी महंगी हो जाने के बाद हम सब घबरा जाते हैं और कृत्रिम तरीके से उसके भाव कम करने लगते है। लेकिन जब किसान कभी कभार दवाई खरीदने बाजार जाता है, दवाइयां महंगी होती है, वह खरीद नहीं पाता है। कभी किसी ने सुना है दवाइयों पर लेवी लगा कर दवाइयां वसूल की गई और किसानों को सस्ती कीमत पर दी गई? क्या चीनी दवाइयों से अधिक जीवणोपयोगी है? दवाइयों पर लेवी क्यों नहीं लगाई जाती? चीनी पर ही क्यों लगायी जाती है। इस के दो ही रास्ते है। एक तो यह कि सारी चीनी सरकार खरीद ले और चाहे तो अमीरों को मुफ्त बांट दे और लागत मूल्य हमको दे दे। और नहीं तो हमें अपनी चीनी अपनी कीमत पर बेचने की अनुमति दे दे। लेकिन दुर्भाग्य से यह मूलभूत सिद्धांत जो डिमांड और सप्लाई का है दुनिया की किसी भी चीज के लिये सारी दुनिया में माना जाता है किसानों के लिये कभी नहीं माना जाता। जब किसान के पास कुछ कम उत्पादन होता है तो उस को ज्यादा लाभ होना चाहिये लेकिन अगर कम उत्पादन हो जाय तो आप लेवी वसूल करेंगे और अगर उसके पास ज्यादा उत्पादन हो जाय तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उस को घाटा होता। इस प्रकार दोनों हालतों में उस का घाटा होता है। सरकार हम को आश्वासन दे सकती है कि

let us get ruled by the law of demand and supply. We do not want anything else. हम को आप से कुछ नहीं चाहिये। आप की मेहरबानी नहीं चाहिये। आप हमें अपनी चीनी अपने दाम से बेचने दो। इस से ही सारा सवाल हल हो जायगा।

उपसभापति जी, इस देश में 30 हजार करोड़ मूल्य का खेतों में उत्पादन होता है और 15 हजार करोड़ मूल्य का सामान किसानों के पास रहता है और 15 हजार करोड़ का माल बाजार में आता है। अगर किसान को उन की उपज का एक प्रतिशत मूल्य कम मिलता है तो डेढ सौ करोड़ का किसान को घाटा होता है। यदि भाव 20, 25 प्रतिशत लागत से कम मिलता है किसान को तो उस को 3000 से 4000 करोड़ रुपयों का हर साल नुकसान होता है। यह पैसा है जो ग्रामीण देहाती भारत से शहरी इंडिया में चला जाता है और आज जो भी शहरी इंडिया की चमक-दमक हम देखते है उस के लिये हर साल यह 3 या साढे तीन हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण भारत की चोरी से होती है। मैं सरकार से क्या यह प्रार्थना कर सकता हूं कि चीनी हो या मूंगफली का तेल हो या खोपरे का तेल हो, इन सब के लिये क्या सरकार एक सिद्धांत अपनायेगी कि हर व्यापारी

के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि उस को चीज का दाम कैसे इतना बना है। हर शीशी पर उसे लेबिल लगाना अनिवार्य कर दिया जाय और उस में लिखा हो कि उस को कीमत इतनी कैसे बनी। जैसे हम विश्लेषण के लिये कह सकते है कि चीनी बनाने के लिये, एक किलो चीनी बनाने के लिये आप ने कितना मुनाफा लिया। उस में कितना खर्च लगा, किसान को क्या दिया गया और बाजार में उसे आप किस भाव से बेचते हैं। जैसे कमलनाथ जी कह रहे थे कि पैरिटी चाहिये मूल्यों में। यह पैरिटी इस प्रकार आ जायेगी जब सरकार उन को मजबूर करेगी कि हर चीज की कीमत का कास्ट एनालिसिस हो। अगर विमल की साड़ी 200 रुपये की बेची जाती है तो लोगों को पता तो चले कि उस के कच्चे माल का कितना दाम किसान को मिलता है, कितना मजदूरों को उन को मेहनत के लिये मिलता है और कितना उस के मालिक को मिलता है और कितना बिचौलियों को मिलता है। जो बात एक साड़ी के लिये होगी वही गेहूं के लिये होगी, नहीं तो राइस मंहगा और राइस प्लेट सस्ती होगी। मूंगफली का जो दाना हम बेचते हैं वह बहुत सस्ता और अगर उस को नमकीन बना कर, उसमें नमक लगा कर बेचा जाय तो व्यापारी उस से करोड़ों कमा लेता है। यह नये तरीके की आजादी हम को मिली है मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा और सरकार से एक मांग करूंगा और मुझे आशा है कि इस को मानने में कृषि मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होगी। हम ने बीस सूत्री कार्यक्रम को अपनी योजना का अंग बनाया है, उसमें सरकार, लागत के आधार पर लाभप्रद मूल्य देने के इस 21वें सूत्र को उसमें सम्मिलित कर लें और बीस सूत्री में सब से प्रथम स्थान इस को दिया जाय क्योंकि यह किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। क्या सरकार अपने कार्यक्रम में इस को 21वें लेकिन प्रथम क्रमांक पर प्राधान्य दे कर इस को एक सूत्र मानेगी? गरीबी हटाओं का नारा रोज दिया जाता है यदि वास्तविक रूप से आप को गरीबी हटानी है तो आप किसान को उस की उपज की लागत के आधार पर लाभप्रद मूल्य जब तक नहीं देंगे तब तक इस देश से गरीबी नहीं हटेगी जिस परचेजिंग पावर के बारे में आप अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। यह परचेजिंग पावर जनता को तभी मिलेगी जब किसान को उस की लागत के आधार पर उचित मूल्य मिलेंगे। इसलिये मैं अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में एक और सूत्र जोड दें और मुझे आशा है कि आप इसे मानेंगे।

SHRI A.G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I think my friends have given enough statistics and I do not want to take up the time of the House in putting out more statistics because everybody has got the same statistics from the same sources. In short, what has happened is that terms of trade have gone in favour of the producers of manufactured good *vis-a-vis* the producers of agricultural products whose condition has deteriorated to such a great extent. If I am not mistaken, some type of arithmetic was worked out. Thousands of crores of rupees have been transferred from the rural sector to the urban sector. Actually, if you want me to quantify I can quantify, but this is the term of trade. I remember that when I left this House in 1984 Rao Birendra Sings, the then Minister of Agriculture assured this House before the Prime Minister that the terms of trade would be neutralized or would at least be on par in agricultural and manufacturing sectors. That was what I had heard when Rao Birendra Singh was replying to such questions. Now what I see is, I have found that there is a document prepared by the Reserve Bank of India called "Approach to price Policy 1986—91." Here what they have mentioned is, I quote:—

> "It will be seen that when reduced to constant 1970-71 prices, the percentage share of agriculture as a contribution to the total gross domestic product has fallen from 45.7 per cent in 1970-71 to 35.6 per cent in 1984-85. If one takes the current prices, the fall is even steeper from 45.7 per cent to 31.6 per cent."

what does this mean? Mr. Minister, you are a knowledgeable person. You

[Shri A. G. Kulkarni]

were a Speaker in the other House and you are such a respected gentleman and you know that when agricultural contribution to gross domestic product has fallen to this extent, there is no other astrologer or economist required to convince the Government that the terms of trade are becoming more and more adverse year by year and in favour of the urban population as against the rural population.

Sir, again I don't want to put out some indices of wholesale prices, graphs, etc,; but what I have found is that the general wholesale price index has risen from 225 to about 400. As againts that, the general index of paddy and wheat has risen from 180 to about 250 and from 150 to about 210. So, this is the position of indices of general prices. Then, Sir, I have stated about the decline in agricultural contribution to the gross domestic product. If you see the index mumber of wholesale prices as related to the prices of manufactured products, you will find that from 1971 to 1975, agricultural prices have risen from 100 to 310 as against 109 to 110. That means, all along the farmers, the agriculturists.... Where has the Minister gone?

SHRI KALPNATH RAI: He is coming.

SHRI A. G. KULKARNI: Should I wait, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Communications Minister is taking notes.

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): He will communicate.

SHRI A. G. KULKARNI: You are the Communications Minister, anyway. you are also a *kisan* and I have full confidence in you.

Sir, again, to support the price figures, the Table 2 shows the index numbers of the wholsale price with the relative price of the manufactured products which I have just now stated and the agricultural products with 1970-71 as the base year. I quote:

> "It will be seen that the figures for manufactured articles has risen from parity to 110.

Thus, there is lower growth rate in the price of agricultural commodities as against that of manufactured goods. There is a 10 per cent rise in the price of manufactured products. This, Sir is another aspect of the price index. Lastly, Sir, this is a part of the uncorrected price inequality. In the Indian economic system if the price policy is to fulfill the major Plan objective of removing the rural poverty, price stability is a wrong manner of providing correction. The current price stability involves for the most part a bias against agriculture. This is the pinch the economists of this country, not only the agricultural economists but even we, feel.

The index number have been quoted by my friend Mr. Virendra Verma. So, I do not want to go into that. I want to know whether the Government is really serious. *Interruptions*) Is the Government really serious in correcting the distortion in the balance of the agricultural prices *vis-a-vis* the prices of the manufactured products and the flow of the rural money to the urban sector? What steps does the Government propose to take? The Government will say, all steps are being taken. In such answers, I am not much interested. If there is any documented proof, please show us. Otherwise God should help the agriculturists, and God should help us also.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I take this opportunity to bring to your notice, to the notice of the House and the notice of the whole Nation the subject which is...

श्री कल्पनाथ राय : आप हिन्दी में बोलिये ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : आप हिन्दी में बोलिये ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : ठीक है, मैं हिन्दी में ही बोलता हूं। जो इस सदन के सामने आज विषय है।

SHRI G. SWAMINTHAN: (Tamil Nadu) You speak in English.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Both in English and Hindi.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : देश के सामने बहुत ही गंभीर समस्या है और यह केन्द्रीय सरकार अपने कर्तव्य में पूरे तरीके से नाकामयाब रही है। किसानों को रेम्युनेरेटिव प्राईस देने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। किसान सारी मेहनत के बाद सारी शक्ति, धन और दौलत से व्हीट, राईस जितनी भी जरूरी चीजे है पैदा करते है लेकिन सरकार आज तक किसान को रेम्युनरेटिव प्राइस नही दे सकी। इसका मतलब यह है कि सरकार इस देश के बहुत बड़े सेक्शन को जिसमें इस देश को बनाने की शक्ति है उसको नजरअंदाज कर रही है। अगर यही हालत रही तो वह दिन दूर नहीं जब कि सारे देश के किसान एक क्रांतिकारी बन जायेंगे और इस मौजूदा सिस्टम के खिलाफ बगावत कर देंगे। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह समय आने से पहले ही जो दबे हुए किसान है जो इस देश को बनाने में लगे हुए है उनकी तरफ हमें को तवज्जो देनी चाहिये। इस सदन में ही नहीं बल्कि दूसरे सदन में भी जो प्रजा के प्रतिनिधि माने जाते है उनमें किसान 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहां आने के बादकिसानों के जो इंटरेस्ट है, उनके जो मसायल है उनको हम भूल जाते है। हमारी सरकार दूसरे मसायल है उन पर कभी कभी विचार करती है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर बहस करने के लिये समय नहीं दे सकती है।

I would urge upon the Government to pay more attention to the problems of the Kisans and see that they get remunerative prices for their produce. The Government has failed utterly in its duty to give remunerative prices to the farmers for rice, wheat, sugarcane, pulses, etc. produced by the farmers. I would like to say that there has been 50 per cent increase in price rise of the inputs required by the farmers. Take the example of iron, fertilisers, electricity and the all other inputs which the farmer requires. Their prices have gone up by 50 per cent. On the contrary there has been a decline in the prices of the products which the farmer produces. He has no right in determining the prices of his produce. The industrialist on the other hand, has a right to fix the prices of his products. Therefore, I would urge upon the Government to see that the farmer too has a right to determine the prices of his produce and that he is paid the remunerative price for his produce.

The minimum price announced by the Centre for rice, wheat, sugarcane etc. are very low. No sugarcane grower will go to the factories with the sugarcane unless he is paid sufficient remunerative prices. Similarly, no paddy grower will go to the miller until and unless the producers of paddy are given sufficient price for the paddy. Agricultural commodities like rice, wheat, sugarcane pulses, cotton, jute and oil-seeds are important commodities. They must be produced within the country in larger quantities and we must not depend upon imports for them. Therefore, the farmer must be encouraged and given remunerative prices enabling him to produce them in large quantities.

In this connection I would like to draw your attention to the fact that the Andhra Pradesh Chief Miniser, Shri N. T. Rama Rao, and his Government have recently decided to enhance the sugarcane purchase price to Rs. 230 per tonne this year. It is Rs. 55 more than the Central price of Rs. 175. I would like that the Central Government should also take this

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

in view and see that throughout the country the farmers get relief. Not only that, the Andhra Pradesh Government has requested the Central Government to give it the right to collect levy. You know the Andhra Pradesh Government has taken a measure to supply rice at Rs. 2/- per kilo to all those belonging to neglected and weaker sections of society. The quantity of rice that has come form the Central Government for that purpose is not sufficient. So, the State Government has requested the Central Government to give them the right to collect the levy. The Cenrral quota is inadequate and we have requested for more quota from the Centre, but so far there is no propers response. I feel it is not only the producer who should be protected, but also the weaker sections of our society.

Sir, another suggestion that I would like to make is that there must be complete ban on import of sugar. While the import of sugar resulted in increased porfits for the Government, the open market prices drift to very low level affecting the capacity to pay remunerative prices to sugar-cane growers. The sugar-mill owners are unable to pay the remunerative price to the sugarcane growers. The import of sugar has resulted in low payment of sugarcane price to the growers. I hope the hon. Minister will look into this matter.

Sir, the Government must announce the prices of essential commodities before the harvest of these crops. This will benefit the farmer to get a substantial price The present practice is that when the crops are harvested, then, he knows the price of a commodity. So I request the Minister to announce the price of the commodities before they arrive into the market.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken ten minutes please conclude now.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I will conclude in one minute. In short, the Government should not take the issues pertaining to the farmers very lightly, because 80 per cent of our people live in the villages. Mahatma Gandhi has said that we should go to the villages. But now what is happening? They are coming to the towns. Now a situation has arisen wherein the sons of the farmers are not interested in farming. Why? Because they are not getting remunerative prices. They are coming to towns to seek employment in factories and elsewhere. This situation should be tackled by the Government otherwise, it will be solely held responsible for this malady. The present policy of the Central Government should be changed and come to the help of farmers to build a society which should be strong and healthy in consonance with the dreams of Mahatma Gandhi. Otherwise, it will affect the poorer sections of the society. The Government must take urgent steps to remove the difficulties faced by the farmers and ensure remunerative prices to them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr Chaturanan Mishra. You can take five minutes and then continue after lunch.

श्री कल्पनाथ राय : हिन्दी में बोलिये।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मैं तो हिन्दी में बोलता ही हूं।

उपसभापति महोदय, एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रही है। पिछले कई वर्षों का अगर इतिहास देखा जाय तो यह देखा जा रहा है कि लगातार जो किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुये है और जो कारखानों में बनी वस्तुएं है उनके अनुपात में किसानों के उत्पादित वस्तुओं के दाम घटते जा रहे हैं। यह प्रोसेस गत चार वर्षों के अंदर और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। हम लोगों को आर्थिक समीक्षा दी गई है उसमें यह कहा गया है। उसके हिसाब से गत चार वर्षों में 10.6 प्रतिशत की दर से किसानो की वस्तुओं के दाम घटे हैं। अभी हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने हिसाब लगाया है कि पिछले दस वर्षों के अंदर

किसानों को इस प्रक्रिया में करीब 45 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय का जो बयान है उस में इस चीज की चर्चा नहीं है। बयान में बहुत सी बातें हैं जो कई बार कही गई हैं जो नयी बात आनी चाहिये वह यह है कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए सरकार कुछ करती है या नहीं करती है और जो अभी तक किया है वह काफी नहीं है, सफिशियेंट नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ देना चाहिये। मैं इसके बिलकुल विरुद्ध विचार रखता हूं। अगर किसानों को डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाता है तो अभी तो अच्छा लगता है। शुगरकेन में महाराष्ट्र में फायदा होगा। लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो किसानों का सर्वनाश हो जाएगा। तब हम लोग मंत्री महोदय से पूछते हो क्या हैं? दुर्भाग्यवश इतने फ्लक्चुयेटिंग प्राइसेज हैं एबनोर्मेलिटी है कि किसानों की इकोनोमी बरबाद हो रही है। जूट का एक वक्त में दाम हो गया था 90 रुपये प्रति क्विंटल और अभी बिक रहा है 150 से 180 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार ने तय किया है सपोर्ट प्राइस 233 रुपये और वह भी मिलता नहीं है। हमारी समस्या यह हो गई है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमने प्राइस फिक्स किया है लेकिन वह मिलता नहीं है किसानों को। उसमें एक दिक्कत यह है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो प्राइस फिक्स करते हैं उसको बड़े और मीडियम किसान तो ले लेते हैं लेकिन जो गरीब किसान हैं वह पहुंच नहीं पाते हैं वे बरबाद हो रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या आप कोई ऐसा साधन बनाना चाहते हैं जिससे आप गरीब किसानों के पास पहुंच सकें और उनकी बरबादी को रोक सकें नहीं तो वह किसान भूमिहीन हो जाते हैं, बरबाद हो जाते है। अब आप काटन को देखिये। एक समय में इसका मूल्य 600 रुपये था आज वह घट कर 300 रुपये हो गया है। तम्बाकू 16 रुपये प्रति किलोग्राम से 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। चिल्लीज 1300 रुपये से घट कर 500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। आयल सीड्ज में भी इसी तरह 11.5% की गिरावट आई है। अभी इस सदन में पेटीशंस कमेटी में केरल के विधायकों ने नारियल की गिरती कीमत का आवेदन दिया था। (व्यवधान) किसानों को वह मिलती नहीं है इसलिए हम ने कहा कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है। अगर सप्लाई और डिमांड पर छोड़ देंगे तो फिर बिचौलिये इस देश को और लूट कर खा जाएंगे। भारत सरकार से शिकायत यह है कि आप बिचौलियों की मदद करते हैं उनको नहीं रोकते हैं। आप बिक्री का दाम तय कर देते हैं लेकिन जनसाधारण को जो बाजार का दाम है वह बहुत ज्यादा है, उस में उनको जाना पड़ता है। मैं चर्चा कर रहा था कि इस सदन की पेटीशंस कमेटी की रिपोर्ट 87वीं रिपोर्ट है। आवेदन दिया था—

> "The prices of coconut have also crashed down. In 1984 the price of 1,000 coconuts was Rs. 3,150 and now it has fallen to Rs. 1,000 per thousand nuts. The reason for the decline of the price of coconuts was the import of coconut oil, the petitioners have submitted."

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह उन्होंने शिकायत की और हमारी जो पेटीशन कमेटी है उसका वर्डिक्ट क्या है :—

> "The Committee has noted with concern that the prices of coconut and its products are prone to wide-ranging fluctuations resulting in the instability of the economy of its use. Such fluctuations adversely affect the growers, traders and consumers."

अब यह जो हो रहा है, इसके लिये कसूरवार कौन है। आप विदेश से भी नारियल तेल मंगा लेते हैं। एक नारियल की ही बात नहीं है मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल फाइबर को भी आप मंगा रहे हैं, एच0डी0पी0ई0 ग्रेनूल्ज को मंगा रहे है, रबड़ मंगा रहे हैं। कोकोनट आयल का हमने कहा कि... (व्यवधान)

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): He can continue after lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him conclude. There are other speakers.

SHRI KALPNATH RAI: How can he conclude? He can speak after lunch. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. The House stands adjourned till 2.30 P. M.

The House then adjourned for lunch at thirty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled. after lunch, at thirtyone minutes past one of the clock, the Vice-Chairman (Shri M. P. Kaushik) in the Chair.

STATEMENT BY MINISTER

Administered Price Policy

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Mr. Vice-Chairman. Sir, the Hon'ble Members will recall that in my Budget speech I had promised that the Government would present a policy paper on administered prices in order to initiate an open debate on this important issue I am glad to inform the House that a discussion paper on Administered Price Policy has now been prepared and is being circulated for discussion. As the issues are complex and the paper is reasonably brief, I do not propose to take the time of the House by going over this issue at this time.

The Government hopes that the issues raised in this paper will be subjected to wide discussion and open debate not only in the House but also outside, by the Public and experts. The Government is convinced that a wider debate on this important issue will facilitate the achievement of our Plan objectives with reasonable stability in prices.

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एडमिनिस्टर्ड प्राइस की चर्चा की है । दिखाई यह देता है कि कई चीजों के ऊपर प्राइस तय करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं । अब जहां तक एग्रीकल्चरल प्राइसेज का सवाल है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन फार हैंडलूम प्राइस सपोर्ट आपरेशन, डिमांड भी होती रहा है, फिर नेशनल प्राइस कमीशन टु स्टडी आल आस्पेक्टस आफ एग्रीकल्चर एण्ड इंडस्ट्रियल प्राइसेज, आदि आदि हैं । परंतु सरकार भी बिना किसी कमीशन की रिपोर्ट आदि के जो मूल्य निर्धारण करती है, घोषणा करती है एक दूसरे से चीजें लगी रहने के कारण एक की कीमत में वृद्धि हुई तो चार चीजों की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अगर आप बता सकें तो बतायें कि पिछले पांच वर्षों में पेट्रोलियम गुड्स की कीमतें आपने कितनी बार बढ़ाई हैं, कोयले की कीमत पिछले पांच वर्षों में कितनी बार बढ़ाई हैं और इस प्रकार से जो मूल्य की वृद्धि होती है, शेष चीजों पर, जिसका उससे लगाव है, उन पर इसका क्या परिणाम होता है, पूरे बाजार के ऊपर क्या परिणाम होता है फिर इस एडमिनिस्टर्ड प्राइस का टोटल परिणाम क्या होता है ।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, administered prices are a component of the price policy itself. They are not only a component of the price policy, but they have also, as a matter of fact, become the primary policy of price rise today.

Secondly, Sir, the policy of administered prices is related to the fiscal policy also. The honourable Minister has also mentioned that since he had promised that there would be an administered price policy, he has prepared a discussion paper on this and that it is now before the House for consideration or discussion or for public debate. Sir. during the past few years, particularly since 1980-81, a particular trend has been noticed that is the trend of pre-budget levies by way of rise in the administered prices which have